न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0—107 सन् 2021

राजेश्वर सिंह वो अन्य......................वादीगण

बनाम

भरत सिंह वो अन्य ....प्रतिवादीगण।

दिनांक— 04.07.2022

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 39 नियम 7 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 22.12.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि उपरोक्त मुकदमा में वादीगण के तरफ से अंतरिम निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र दिया गया है, जिस पर सुनवाइ वो भी न्यायपूर्ण आदेश पारित करने हेतु विवादित जायदाद का भौतिक स्वरूप अदालत के अभिलेख पर आना जरूरी है। वादीगण अधिवक्ता आयुक्त का शुल्क वहन करने को तैयार हैं। विवादित भूमि इस अदालत से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अतः निवेदन है कि विवादित स्थल का स्थानीय निरीक्षण हेतु किसी अनुभवी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर आवेदन में लिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन मांग लिया जाए।

प्रतिवादी सं0 02 के तरफ से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी की ओर से अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी को

निर्देश दिया जाता है कि वे अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति शुल्क 2500/—रूपया नजारत में जमा करें।

अधिवक्ता आयुक्त के रूप में श्री अजय कुमार कश्यप को नियुक्त खुले न्यायालय में किया जाता है।

वाद दिनांक 05.08.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।